


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



## कार्यालय आदेश

श्री किशन लाल कीर, तत्कालीन व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दोवड़ा-आमेट-राजसमन्द जिनको इस कार्यालय के आदेश शिविरा-माध्य/विजांच/11105/के-139/28 दिनांक 18.02.2020 द्वारा दिनांक 22.11.2019 से निलम्बित किया गया जाकर, निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किये जाने पर, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत निम्नांकितानुसार किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रसं	नाम व्याख्याता मय विषय	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री किशन लाल कीर, निलम्बित व्याख्याता इतिहास,	13.03.2020	54500/	13.03.2020

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक-25/06/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/निलम्बित/मकिम/निर्वाह भत्ता/2018-19/20  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्द/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-आमेट (राजसमन्द)
- 4 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग निदेशक, कार्यालय हाजा
- 5 अनुभाग अधिकारी, रोकड़/वि.जांच/ओए-सी अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 6 सम्बन्धित कार्मिक
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर